—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 20/2015

उनवान

1. मोहन पुत्र मांगू
2. पोखर पुत्र मांगू समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद

—— अपीलांट :— जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाराशर

बनाम

1. भंवरी पुत्री दाखा जाति कुम्हार निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
2. गटटू पुत्री दाख जाति कुम्हार निवासी ग्राम सथाना बाजार, विजयकरण, अजमेर।
3. गोपी पुत्र दयाल
4. लाला पुत्र दयाल समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
5. भवंरी पत्नी बृजमोहन जाति यादव निवासी सुतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद
6. उर्मिला पत्नी भवंरलाल जाति यादव निवासी सुतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद
7. शशि ऐरन पत्नी कमल किशोर जाति अग्रवाल निवासी दूधिया मौहल्ला नसीराबाद
8. इन्द्रा पत्नी प्रेम प्रकाश जाति यादव निवासी सुतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद
9. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
10. सरपंच ग्राम पंचायम देराठू, नसीराबाद

—— रेस्पोडेन्टस :— 1 से 4 व 10 अनुपस्थित, 9 जरियें राज. पैराकार
5 से 8 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 84 व 85 दिनांक 20.01.2009 जो सरपंच ग्राम पंचायत देराठू द्वारा तस्दीक किये गये।

—: आदेश :— दिनांक :— 14.10.24

अधिवक्ता अपीलान्टस ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के पुराने खसरा नम्बर 3856 व 3851 तथा ग्राम बारापत्थर के पुराने खसरा नम्बर 654 व 657 के नये खसरा नम्बर 792, 793, 800, 801, 802 व 803 की आराजी पूर्व में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 4 व मृतक दयाल के नाम दर्ज थी। उपरोक्त आराजी को रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 4 की स्व. माता दाखा ने [illegible] माधु को बैचान कर दी थी जिसके विरूद्व अपीलान्टस के पिता मांगू ने [illegible] मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग नसीराबाद द्वारा निर्णय दिनांक 24.02.1979 से [illegible] करवा दिया था किन्तु त्रुटि अथवा भूलवश उसके पक्ष में [illegible] विक्रय पत्र में खसरा नम्बर 6[illegible] बजाय 659 अंकित हो गया था जबकि मौके पर भौतिक क[illegible] खसरा नम्बर 654 क[illegible]भलाया गया था। उक्त त्रुटी के कारण आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख मे अपीलांट के पिता मांगू के

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:56:10 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज नही हो सकी। दाखां की मृत्यु के बाद आराजी मुतनाजा जरियें विरासत रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 4 व मृतक दयाल के नाम दर्ज हो गयी। आराजी मुतनाजा बाबत एक राजस्व वाद अपीलांट के पिता मांगू ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्मकारी अधिनियम 1955 व धारा 212 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र में न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2004 को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये अतंरिम अस्थायी निषेघाज्ञा जारी की गयी। उक्त वाद उपखण्ड न्यायालय नसीराबाद द्वारा प्रारम्भिक अवस्था में अपने निर्णय दिनांक 22.6. 2005 द्वारा अपास्त किये जाने के कारण उसके विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के यहा अपील पेश की गयी। उक्त अपील में उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 30.06.2005 को आराजी मुतनाजा के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किये गये। राजस्व मण्डल के पत्र की पालना में उक्त अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर भेजी गयी। उक्त अपील राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित है जिसमें दिनांक 25.11.2014 को राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये। उक्त आराजी पर दिनांक 29.05.04 से आज तक स्थगन आदेश यथावत चल रहा है। इसके उपरान्त भी पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक व ग्राम पंचायत द्वारा माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की पालना नही करते हुये विवादग्रस्त नामान्तकरण तस्दीक कर राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 4 के स्थान पर रेस्पोडेन्टस संख्या 5 से 8 का नाम स्वीकार किया गया, रेस्पोडेन्टस संख्या 9 तहसीलदार नसीराबाद द्वारा भी स्थगन आदेश की अवमानना कारित की है। अतः अपील स्वीकार की जा कर विवादग्रस्त नामानतकरण को निरस्त कर रेस्पोडेन्टस संख्या 5 से 8 का नाम तर्क किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरियें नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 4 व 10 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 5 से 8 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पूर्व में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 4 के नाम वंर्किग जमाबंदी में खातेदारी दर्ज थी। उक्त खातेदार द्वारा जरियें विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2004 को आराजी मुतनाजा का विक्रय रेस्पोडेन्टस संख्या 5 से 8 को कर कब्जा व दखल सौप दिया था। जवाबकर्ता ने उक्त आराजी राजेन्द्र पुत्र नाथू सिंह यादव, प्रदीप कुमार पुत्र सत्यनारायण व राजीव पुत्र रतनलाल कहार को दिनांक 19.04.2021 को बेचान कर दी। प्रकरण में उक्त क्रेतागण को पक्षकार नही बनाया है। भूलवश कोई भी खसरा नम्बर 654 के बजाय 659 विक्रय पत्र में अंकन नही किया जा सकता है। आराजी मुतनराजा वंर्किग जमाबंदी में दाखा पत्नी बालू के नाम दर्ज थी, जिसकी मृत्यु के बाद जरियें विरासत उसके वारिस रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज की गयी। उक्त आराजी का अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पेश किया गया, जो दिनांक 22.06.2005 को खारिज किया गया। जिसके विरूद्व अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष पेश की गयी, जो दिनांक 0.9.01.2009 को खारिज की गयी। उसके पश्चात नामान्तकरण संख्या 84 व 85 दिनांक 20.01.2009 को रेस्पोडेन्टस संख्या 5 से 8 के नाम भरा गया, जिसमें कोई त्रुटि कारित नही की गयी। नामान्तकरण की कार्यवाही नियमानुसार की गयी। दिनांक 20.01. 2009 के नामान्तकरण की अपील दिनांक 03.06.2015 को पेश की गयी। अपीलांट द्वारा 6 वर्ष की देरी की है जो, क्षमा योग्य नहीं है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:56:10 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अपीलांट ने जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 654 व 657 का अपीलार्थीगण से काई सरोकार नही है। आराजी मुतनाजा दाखा की संयुक्त खातेदारी की थी। खसरा संख्या 654 व 657 दाखा के नाम दर्ज हुआ दाखा ने दिनांक

---3

उपखण्ड अधिकारी

16.01.1975 को अपने हिस्से की भूमि का बैचान बंशी पुत्र माधु के पक्ष में करते हुये भैतिक कब्जा संभला दिया था। दाखा द्वारा किये गये विक्रय पत्र में खसरा नम्बर 654 के बजाय खसरा नम्बर 659 जो की भूरा के नाम दर्ज थी, का अंकन कर दिया। उपरोक्त आराजी का बैचान बंशी को किये जाने पर मांगू ने अग्रक्रयाधिकार का वाद सिविल न्यायालय नसीराबाद में प्रस्तुत किया, सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 20/75 में दिनांक 24.02.1979 को वादी मांगू के पक्ष में निर्णय करते हुये डिक्री पारित की। दाखा के वारिसान को आराजी मुतनाजा का बैचान रस्पोडेन्टस संख्या 5 से 8 को विक्रय करने का कोई अधिकार नही है। अतः उनके पक्ष में तस्दीक नामान्तकरण निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत को उक्त नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का कोई अधिकार नही है। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने दिनांक 30.06.2005 को आराजी मुतनाजा के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किये थे। उक्त अपील दिनांक 09.01.2009 को अधिवक्ता की अनुपस्थिति में खारिज की गयी। अपीलांट के अधिवक्ता को 27.01.2009 दिनांक नोट करवायी थी। उक्त दिनांक से पूर्व ही अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गयी। अपीलांट के अधिवक्ता को जानकारी हाने पर उनके द्वारा दिनांक 20.01.2009 को अपील पुनः नम्बर पर लेने हेतु आवेदन पेश किया गया। तथा दिनांक 30.01.2009 को स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उक्त आवेदन पत्र सुनवाई कर उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2005 के अन्तर्गत आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु बढाई गयी। माानीय राजस्व अपील प्राधिकारी व राजस्व मण्डल द्वारा जारी स्थगन आदेश आज भी प्रभाव में चले आ रहे है। विवादित नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को जानकारी नही दी गयी। अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय में अन्दर मियाद अपील पेश की गयी है। राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त 2002 आर.आर.डी. 284 के अनुसार ग्राम पंचायत को विवादित मामलो में नामान्तकरण तस्दीक करने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत द्वारा कब्जे का भी सत्यापन नही किया गया। नामान्तकरण एक वित्तिय प्रकृति का मामला है, जिसमें जटिल मामले तय नही किये जा सकते है। आराजी मुतनाजा पर रस्पोडेन्टस का कब्जा कभी नही रहा है। संरपंच ग्राम पंचायत को यह जानकारी थी कि आराजी मुतनाजा पूर्व में ही अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही है, इसके बावजूद स्वार्थ लोलुपता से वशीभूत होकर उक्त नामान्तकरण तस्दीक किये गये। अतः अपील स्वीकार की जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लिखित बहस व नजीरे प्रस्तुत की।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। आराजी मुताजा हाल राजस्व अभिलेख में रस्पोडेन्टस संख्या 5 से 8 के नाम अंकित है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 654 रकबा 5—0—0 व 657 रकबा 1—0—0 दाखा पत्नी बालू के नाम अंकित था, जो जरियें विरासत नामान्तकरण संख्या 131/17.02. 2004 से दाखा के वारिसान [illegible] के वारिसान द्वारा उक्त आराजी जरियें विक्रय नामान्तकरण संख्या 84 व 85 [illegible] .01.2009 से रस्पोडेन्टस संख्या 5 से 8 के नाम दर्ज हुयी। अपील[illegible] पूर्व में सिविल न्यायालय के आदेश से उनके पिता मां[illegible] 24.02.1979 को पारित किये गये। किन्तु त्रुटि अथवा भूलवश उसके पक्ष में [illegible]पादित विक्रय पत्र में खसरा नम्बर 654 के बजाय 659 अंकित हो गया था जबकि मौके [illegible] भौतिक कब्जा खसरा नम्बर 654 की ही संभलाया गया था। उक्त त्रुटी के कारण आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख मे अपीलांट के पिता मांगू के नाम दर्ज नही हो सकी। दाखां की मृत्यु के बाद आराजी मुतनाजा जरियें

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:56:10 IST
Reason: SelfAttested

——4

उपखण्ड अधिकारी

विरासत रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 4 व मृतक दयाल के नाम दर्ज हो गयी। आराजी मुतनाजा बाबत एक राजस्व वाद अपीलांट के पिता मागूं ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 212 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र में न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2004 को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये अतंरिम अस्थायी निषेघाज्ञा जारी की गयी। उक्त वाद उपखण्ड न्यायालय नसीराबाद द्वारा प्रारम्भिक अवस्था में अपने निर्णय दिनांक 22.6. 2005 द्वारा अपास्त किये जाने के कारण उसके विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के यहा अपील पेश की गयी। उक्त अपील में उभयपक्ष को सुन कर दिनांक 30.06.2005 को आराजी मुतनाजा के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किये गये। उक्तानुसार स्पष्ट है कि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 29.05. 1979 को पारित निर्णय व डिक्री की पालना राजस्व अभिलेख मे आज दिवस तक नही हुयी है। उक्त निर्णय व डिक्री तथा मांगू के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र में खसरा नम्बर 654 के स्थान पर 659 अंकित है। उक्त त्रुटि को किसी भी न्यायालय द्वारा आज दिवस तक दुरूस्त नही किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट खसरा नम्बर 654 की आराजी पर कोई हक व अधिकार नही रखते है। भूलवश कोई भी खसरा नम्बर 654 के बजाय 659 विक्रय पत्र में अंकन नही किया जा सकता है। साथ ही अपीलांट द्वारा जो तथ्य अपनी अपील में उठाये गये है उनका गुणावगुण पर हाजा न्यायालय द्वारा निस्तारण कर दिया गया है अर्थात हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता द्वारा प्रस्तुत वाद पूव में ही निरस्त किया जा चुका है। उक्त अपील मांगू के पुत्र मोहन व पोखर द्वारा पेश की गयी है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत निगरानी संख्या टी.ए. 6874 दिनांक 2010 मांगू के 3 पुत्र व 5 पुत्री द्वारा प्रस्तुत की गयी है। अपीलांट द्वारा मांगू के समस्त विधिक वारिसान को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब नही किया है। रेस्पोडेन्टस संख्या 5 से 8 ने उक्त आराजी राजेन्द्र पुत्र नाथू सिंह यादव, प्रदीप कुमार पुत्र सत्यनारायण व राजीव पुत्र रतनलाल कहार को दिनांक 19.04.2021 को बेचान कर दी। प्रकरण में उक्त क्रेतागण को पक्षकार नही बनाया है। उक्त आराजी का अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय में वाद पेश किया गया, जो खारिज किया गया। जिसके विरूद्व अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष पेश की गयी, जो दिनांक 0.9.01.2009 को खारिज की गयी। उसके पश्चात नामान्तकरण संख्या 84 व 85 दिनांक 20.01.2009 को रेस्पोडेन्टस संख्या 5 से 8 के नाम भरा गया। अपीलांट का कथन है कि उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व विधिवत जॉच नही की गयी। किन्तु विक्रय पत्र में कब्जा संभलाने का अंकन होने के कारण व विक्रय पत्र पंजीकृत होने से नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व कब्जे की अलग से जाचॅ की कोई आवश्यकता नही है। नामान्तकरण तस्दीक दिनांक को आराजी मुतनाजा पर किसी भी न्यायालय का स्थगन प्रभावी नही था। ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र की पालना में नामान्तकरण तस्दीक किया है। आराजी मुतनाजा अपीलांट अथवा उसके पूर्वज के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित नही होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व उन्हे सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नही है। नामान्तकरण की [illegible] नियमानुसार की गयी। दिनांक 20.01. 2009 के नामान्तकरण की अपील दिनांक [illegible] को दर्ज की गयी। अपीलांट द्वारा 6 वर्ष की देरी की है जो, क्षम[illegible] अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन भी [illegible] अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। अधिवक्ता अपीलां[illegible] का यह भी कथन है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने दिनांक 30.06.2005 को आराजी मुतनाजा के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किये थे। उक्त अपील दिनांक 09.01.2009 को अधिवक्ता की अनुपस्थिति में खारिज की गयी। अपीलांट के अधिवक्ता को 27.01.2009

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:56:10 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक नोट करवायी थी। उक्त दिनांक से पूर्व ही अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गयी। किन्तु न्यायालय द्वारा अधिवक्ता को गलत दिनांक नोट कराने का कथन विश्वसनीय नही है। राजस्व अपील प्रधिकारी न्यायालय, अजमेर द्वारा अपीलांट की अपील दिनांक 09.01.2009 को खारिज की गयी जो दिनांक 26.05.09 को पुनः नम्बर पर ली गयी। माननीय राजस्व ण्डल, अजमेर द्वारा भी अपीलांट की निगरानी दिनांक 30.11.2018 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज की गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रकरण में प्रभावी पैरवी नही कर मिथ्या कथन अपील में अंकित किये है। रेस्पोडेटस संख्या 5 से 8 आराजी मुताजा के सद्भावी केता है। आराजी मुतनाजा पर अपीलांट अथवा उनके पूर्वजों का स्वामित्व का निर्धारण हाजा न्यायालय द्वारा कियाा जा चुका है जिसकी अपील मानानीय अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन है। आज दिवस तक अपीलांट को आराजी मुतनाजा का स्वामित्व अधिकार प्राप्त नही हुआ है। नामान्तकरण एक वित्तिय प्रकृति का मामला है, माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील के निस्तारण पश्चात भूमि का राजस्व अभिलेख में अंकन न्यायालय आदेश अनुसार ही किया जायेगा।

उक्तानुसार ग्राम पंचायत देराठू द्वारा नामान्तकरण संख्या 84 व 85 में दिनांक 20.01.2009 को पारित आदेश विधिसम्मत/न्यायसंगत आदेश है। जिसमें कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि जाहिर नही है, जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य होने से एतद् द्वारा **"खारिज"** की जाती है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:56:10 IST
Reason: SelfAttested